

**स्पाइसेस बोर्ड**  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्धा भवन, पालारिवट्टम  
कोच्ची-682025  
केरल

संख्या: विपणन/एस पी/आरबीएल/012/एलओडब्लियूएच/2020-2021/232

26.05.2025.

स्पाइसेस पार्क, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में गोदाम को पट्टे पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं।

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दतौली गांव में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पार्क में उपलब्ध 520 वर्ग मीटर जगह वाले गोदाम के संचालन के लिए बोलियां आमंत्रित करता है।

**पात्रता**

निम्नलिखित बोलियां प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

- क) मसाला निर्यातक जिनके पास वैध सीआरईएस (मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र)
- ख) मसाला व्यापारी जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण हो।
- ग) किसान उत्पादक कंपनियां जिनके पास सहयोग मामलों मंत्रालय द्वारा जारी की गई पंजीकरण के प्रमाणपत्र हो।
- घ) कमोडिटी एक्सचेंज
- ड) केन्द्र/राज्य भंडारण निगम

उपरोक्त मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले आवेदक गोदाम पट्टे के लिए पात्र होंगे।

**गोदाम भवन किराये पर लेने की शर्तें और नियम:**

1. सुविधाएं "जहां है जैसा है" सथिति में किराए पर दी जाएगी।
2. गोदाम को सौंपे जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए किराए पर दिया जाएगा।
3. प्रति वर्ष किराए 10% बढ़ाया जाएगा।
4. गोदाम का उपयोग मुख्य रूप से पुदीना/पुदीना उत्पादकों और मसालों/ मसालों के उत्पादकों के भंडारण के लिए किया जाएगा।
5. गोदाम को अनाज और गैर कृषी उत्पादकों के भंडारण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. गोदाम उस आवेदक को पट्टे पर दिया जाएगा जिसने प्रति माह सबसे उच्चतम बोली लगाई है तथा बोर्ड के अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।
7. अगर एक से अधिक आवेदकों की लगाई गई बोली की राशि समान हो तो, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पुदीना/पुदीना उत्पादकों का भंडार करता है।
8. स्पाइसेस बोर्ड आनुपातिक आधारित भुगतान पर सुविधाओं के लिए पानी और बिजली उपलब्ध कराएगा।
9. इच्छुक व्यक्ति/कंपनियां सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक गोदाम भवन का दर्शन कर सकते हैं। वे दर्शन से पहले निम्नलिखित पते पर प्रभारी अधिकारी, स्पाइसेस पार्क से संपर्क कर सकते हैं।

**सहायक निदेशक,**

**मसाला पार्क. दतौली गांव**

**हरचंदपुर पी.ओ। रायबरेली।**

**उत्तर प्रदेश-229303**

**फ़ोन: 9450159231**

10. लगाई जानेवाली वाली न्यूनतम राशि 17,000/- +18% जीएसटी निर्धारित की गई है। 17,000/- रुपए से कम लगाई बोलियों पर पफ गोदाम को पट्टे पर देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोर्ड के रसीद खाते में ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से तीन महीने के किराए के बराबर ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। बोर्ड को सुविधाएं सौंपते समय ब्याज रहित सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी।
- 12.सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोर्ड के रसीद खाते में ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 3,00,000/- रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। बोर्ड को सुविधाएं सौंपते समय बिना ब्याज के जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- 13.सुरक्षा जमा और जमानत जमा अनुबंध के साथ जमा करानी होगी
- 14.सर्वोच्च बोलीदाता को बोर्ड से अवार्ड पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बोर्ड के साथ एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 15.उच्चतम बोलीदाता को अनुबंध की तिथि से 15 दिन के भीतर तथा सुरक्षा जमा और जमानत राशि प्राप्त होने के बाद गोदाम का कब्जा लेना होगा। यदि अनुबंध की तिथि से 15 दिन के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो इसे निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और बोर्ड को अन्य पात्र कंपनी/एजेंसी को सुविधाएं पट्टे पर देने का अधिकार है।
16. पट्टा अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों द्वारा तीन महीने का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
- 17.गोदाम को किसी अन्य कंपनी को किराए पर नहीं दिया जाएगा।

18. यदि भंडारण सुविधाओं को लगातार तीन माह से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है या मासिक किराये का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो बोर्ड पट्टा अनुबंध को समाप्त कर देगा।
19. 18% जीएसटी के साथ मासिक किराया प्रत्येक आगामी माह की 5 तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को भुगतान किया जाएगा।
20. सुविधाएं किसी अन्य कंपनी को किराये पर नहीं दी जाएंगी।
21. बोली प्रस्तुत करने के लिए ईएमडी लागू नहीं है। हालाँकि, बोलीदाताओं को अनुलग्नक-II में दिए गए निर्धारित फॉर्म में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
22. तकनीकी बोली अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी, साथ ही अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा के साथ एक अलग लिफाफा में तकनीकी बोली लिखी जाएगी। (लिफाफा-1)
23. वित्तीय बोली अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में एक अलग लिफाफे में वित्तीय बोली उपरलिखित कर प्रस्तुत की जाएगी (लिफाफा 2)।
24. इच्छुक पात्र आवेदक भाग-1 और भाग-II में दिए गए प्रारूप में अपनी बोलियां दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में भाग-1 (बोली आवेदन) और भाग II (वाणिज्यिक बोली) उपरलिखित कर प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों बोलियों को एक अलग सीलबंद लिफाफे में "स्पाइस पार्क, रायबरेली में गोदाम भवन को पट्टे पर देने के लिए बोली" उपरलिखित कर "सहायक निदेशक, स्पाइसेस पार्क, दतौली गांव, हरचंदपुर पी.ओ. रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229303" को संबोधित करके 19.06.2025 को शाम 5.30 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
25. तकनीकी बोली 19.06.2025 को सुबह 10.30 बजे स्पाइसेस पार्क, रायबरेली में बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। तकनीकी बोली के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ 20.06.2025 को सुबह 11.00 बजे खोली जाएंगी।
26. जिन फर्मों/कंपनियों या अन्य संस्थाओं का बोर्ड के पास कोई भुगतान बकाया (लंबित) है, वे बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं हैं और यदि कोई ऐसी फर्मों/कंपनियों या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां, हों तो वह नहीं खोली जाएंगी।
27. बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार रखता है।

स्थान:कोच्ची

निदेशक(विपणन)

तिथि:26.05.2025

**अनुबंध-I**

भाग-1

स्पाइसेस पार्क रायबरेली में कैंटीन पट्टे पर देने के लिए बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप

1.	आवेदक के नाम और पता	
2.	श्रेणी(टिक कीजिए)	मसाला निर्यातकों मसाला व्यापारी मसालों का कारोबार करनेवाले किसान उत्पादक कंपनियां कमोडिटी एक्सचेंज
3.	सहायक दस्तावेज़ संलग्न(टिक कीजिए)	मसाला निर्यातकों- मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकृत प्रमाणपत्र मसाला व्यापारी- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र किसान उत्पादक कंपनियां- पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रति कमोडिटी एक्सचेंज
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5.	संपर्क व्यक्ति के ई-मेल और फोन नंबर	
6.	जीएसटी नंबर	
7.	पान नंबर	
8.	मसाले/भंडारित किए जानेवाले मसाले उत्पाद	
9.	बैंक विवरण	खाता नंबर बैंक का नाम शाखा आइएफएस कोड
10.	कोई अन्य विवरण	

स्थान:

तिथि:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम

पदनाम

(सील)

अनुबंध-II

(फर्म के पत्र-शीर्ष पर)

## बोली सुरक्षा घोषणा

निदेशक(विपणन)  
स्पाइसेस बोर्ड , सुगंध भवन  
एन.एच बाय पास,  
पलारिवट्टम, कोच्ची  
केरल-682025

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड के ----- हेतु निविदा सूचना  
स्पाइसेस पार्क में ----- के लिए हमारी बोली  
दिनांक-----

मैं/हम \_\_\_\_\_ अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ  
मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि निविदा के धारा के अनुसार, हम बयाना राशी जमा (ईएमडी) के बदले में बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न कर रहे हैं।

मैं/हम यहाँ स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम अयोग्यता के तिथि से एक वर्ष की अवधी के लिए आप के साथ किसी भी करार के लिए बोली लगाने से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, जैसा कि आप द्वारा अधिसूचित किया गया है(क्षतिपूर्ती या किसी अन्य कानूनी सहारा का दावा करने के सेपाइसेस बोर्ड के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना) यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा हूँ/रहे हैं
- 2) मैं/हम बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधी या विस्तारित अवधी, यदी कोई हो, के दौरान मेरे/हमारे बोली को वापस लेलिया है या एकतरफा संशोधित किया है
- 3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारा बोली स्वीकार किए जाने पर, मैं/हम निर्धारित सुरक्षा जमा राशी जमा करने में विफल रहे या नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले  
अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम

दिनांक-----महीने-----का दिन,-----वर्ष